न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं. 177/2023 प्रार्थनापत्र

1. छोगा पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता हरलाल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. हेमराज पिता हरलाल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. बालू पिता रामा माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. हीरा पिता रामा माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लादूलाल पिता गोकल माली गोदपुत्र चूना (चून्या) माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 11 -09-2024

उपस्थित :- श्री भैरूलाल बापना व श्री विपुल बापना
अधिवक्तागण – प्रार्थीगण
श्री छोटूलाल जाट – अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 25-04-2023 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है ।

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वज गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा जी माली के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की साबिक आराजियात नंबर 342 , 343 , 344 , 347 , 350 , 352 , 353 व 355 कुल किता 8 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी में दर्ज थी । उक्त खातेदार गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा जी माली एवं चून्या वल्द छोटू जी माली निवासी आटूण के शातलाती खाते में कुआ आराजी चाह सं. 351 तीन सौ इकावन रकबा 9 नौ बिस्वा भूमि ½ - ½ हिस्से से दर्ज थी अर्थात् ½ हिस्सा गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा जी माली का व ½ हिस्सा चूना (चून्या) पिता छोटू जी माली का दर्ज था ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में आगे अंकित किया कि भीलवाड़ा तहसील में नवीन बंदोबस्त के समय प्रार्थीगण के उक्त वर्णित पूर्वज श्री गोकल, हजारी , रामा पिता जोधा में से गोकल का देहान्त हो जाने से उक्त वर्णित साबिक आराजियात के नवीन आराजी सं. 2213 ,2215 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2227 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 को हरलाल , छोगा पिता गोकल एवं हजारी , रामा पिता जोधा माली के संयुक्त खाते में फर्द इख्तलाफ सं. 61 से दर्ज की गयी एवं फर्द इख्तलाफ सं. 62 में साबिक आराजी सं. 351 जो कि गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा व चून्या पिता छोटू के नाम पर बराबर-बराबर हिस्से से दर्ज थी उसके नवीन आराजी चाह सं. 2229 बनाये गये जिसके साथ-साथ हमारी साबिक आराजी नं. 353 के दो नवीन आराजी सं. 2204 व 2218 कायम करते हुए इन तीनों आराजियात को हरलाल , छोगा पिता गोकल एवं हजारी , रामा पिता जोधा 1/2 व चून्या पिता छोटू माली हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया किन्तु बाद में जब नवीन बंदोबस्त का खाता बनाया गया उस नवीन बंदोबस्त के खाते में निम्नलिखित सारी आराजियात के खाते में प्रार्थीगण के साथ-साथ मृतक चूना (चून्या) माली की पत्नी दाखी का नाम भी 1/2 हिस्से से दर्ज कर दिया गया जबकि साबिक चाह सं. 351 के 1/2 हिस्सेदार चूना माली या उसकी वारिस श्रीमती दाखी का नाम केवल नवीन आराजी चाह सं. 2229 में ही 1/2 हिस्से से दर्ज किया जाना चाहिये था । प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य की नवीन आराजियात नंबर 2204 2215 , 2218 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2229 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 कुल किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर भूमि खाता सं. 338 में दर्ज है ।

नवीन सेट्लमेंट के समय जो खसरा भूप्रबंध बनाया गया था व खसरा गिरदावरी जो संवत् 2033 तक पुराने नंबर से चलती रही उसमें प्रार्थीगण की उक्त नवीन आराजियात सं. 2215 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2229 , 2230 , 2231, 2232 व 2233 में सहीतौर से गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा के बजाय हरलाल , छोगा पिता गोकल व हजारी , रामा पिता जोधा माली का नाम दर्ज किया गया । इस आराजियात में कहीं भी चूना (चून्या) पिता छोटू माली का नाम दर्ज नहीं था किन्तु नवीन जमाबंदी कायम करते समय इन आराजियात के साथ-साथ आराजी नं. 2204 , 2218 व 2229 को भी उक्त संयुक्त खाते में दर्ज करते हुए प्रार्थीगण का इन नवीन आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में भूल व सेहवन से उक्त चूना (चून्या) माली की पत्नी श्रीमती दाखी का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि दाखी का नाम केवल शामलाती कुआ सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर (साबिक कुआ सं. 351) में ही 1/2 हिस्से से दर्ज होना चाहिये था व नवीन खाता सं. 338 में उक्त शेष आराजियात सं. 2204 , 2215 , 2218 से 2225 व 2230 से

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

हैक्टेयर के किसी भी हिस्से के अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष पेश करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे और विपक्षी सं 3 तहसीलदार सा. भीलवाड़ा को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे न्यायालय की आज्ञा व अनुमति के बिना उक्त वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं करे ना ही इसका नामान्तरकरण विपक्षी सं. 1 के पक्ष में खोले ।

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी सं. 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है ।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस समायत की गयी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भी उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का तथ्य अंकित किया है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर वाद के निस्तारण के पूर्व ही वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टि.एक्ट स्वीकार किया जाना उचित है ।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन खाता सं. 338 में अंकित आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में से आराजी चाह सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर को छोड़ कर शेष आराजियात नंबर 2204 , 2215 , 2218 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 किता 14 रकबा 2.3900 हैक्टेयर के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
भीलवाड़ा